Yogoda Satsanga Mahavidyalaya

B. Com Semester - VI

Subject: Auditing & Corporate Governance (C-13) CBCS

Topic: **कंपनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, रोटेशन और निष्कासन**

Ravindra Kumar, Associate Professor Department of Commerce

ऑडिटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ऑडिटरों की नियुक्ति, रोटेशन और निष्कासन विभिन्न कानूनों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहां इन प्रक्रियाओं के प्रमुख पहलुओं का अवलोकन दिया गया है:

कंपनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति:

1. प्रारंभिक नियुक्ति:

- निदेशक मंडल: लेखा परीक्षकों की प्रारंभिक नियुक्ति आम तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।

- शेयरधारकों की स्वीकृति: नियुक्ति अक्सर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होती है।

2. योग्यता मानदंड:

- नियुक्त ऑडिटर को आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी और लागू कानूनों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।

3. कार्यकाल:

- एक ऑडिटर का कार्यकाल आमतौर पर कंपनी के उपनियमों या प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट होता है। उदाहरण के लिए, लेखा परीक्षकों को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जो पुनर्नियुक्ति के अधीन होगा।

4. नियामक फाइलिंग:

- कंपनियों को ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में सूचित करने के लिए अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) जैसे नियामक निकायों के साथ नोटिस या फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

कंपनी लेखा परीक्षकों का रोटेशन:

1. अनिवार्य रोटेशन:

- नियामक आवश्यकताएँ: कई न्यायालयों में स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लेखा परीक्षकों के रोटेशन की आवश्यकता वाले नियम हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम कहता है कि प्रमुख ऑडिट पार्टनर को हर पांच साल में घूमना होगा।

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड: कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ऑडिट गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑडिटर रोटेशन की अनुशंसा करते हैं या इसकी आवश्यकता होती है।

2. फर्म रोटेशन बनाम पार्टनर रोटेशन:

- फर्म रोटेशन: संपूर्ण ऑडिट फर्मों को एक निश्चित अवधि (उदाहरण के लिए, हर 10 साल) के बाद रोटेशन की आवश्यकता हो सकती है।

- पार्टनर रोटेशन: ऑडिट फर्म के भीतर लीड पार्टनर या एंगेजमेंट पार्टनर को अधिक बार रोटेट करने की आवश्यकता हो सकती है (उदाहरण के लिए, हर 5 साल में)।

3. संक्रमण काल:

- विनियम अक्सर कंपनियों और ऑडिट फर्मों को रोटेशन आवश्यकताओं का अनुपालन करने की अनुमति देने के लिए एक संक्रमण अवधि प्रदान करते हैं।

कंपनी लेखा परीक्षकों को हटाना:

1. हटाने के कारण:

- गैर-अनुपालन: वैधानिक आवश्यकताओं या नैतिक मानकों का अनुपालन करने में विफलता।

- हितों का टकराव: कोई भी स्थिति जो ऑडिटर की स्वतंत्रता को ख़राब करती है।

- प्रदर्शन में कमी: लेखापरीक्षा कर्तव्यों को निभाने में अक्षमता या लापरवाही।

- आवश्यकताओं में परिवर्तन: कंपनी की बदलती आवश्यकताएँ या आवश्यकताएँ।

2. हटाने की प्रक्रिया:

- निदेशक मंडल की सिफ़ारिश: बोर्ड किसी ऑडिटर को हटाने की सिफ़ारिश कर सकता है।

- शेयरधारकों की मंजूरी: निष्कासन के लिए आम तौर पर शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, अक्सर सामान्य बैठक में एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से।

- नियामक अधिसूचना: कंपनियों को निष्कासन के बारे में नियामक निकायों को सूचित करने और परिवर्तन के कारण बताने की आवश्यकता हो सकती है।

3. लेखापरीक्षक की बात सुनने का अधिकार:

- प्रतिक्रिया देने का अवसर: ऑडिटर को अक्सर उनके प्रस्तावित निष्कासन के संबंध में एक बयान देने का अधिकार होता है।

- सामान्य बैठक: ऑडिटर को उस बैठक में भाग लेने और बोलने की अनुमति दी जा सकती है जहां उनके निष्कासन पर चर्चा की जाती है।

4. दस्तावेज़ीकरण:

- औपचारिक संकल्प: कंपनी के कार्यवृत्त में उचित दस्तावेज और संकल्प दर्ज किए जाने चाहिए।

- प्रकटीकरण: कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट या नियामक निकायों के साथ फाइलिंग में ऑडिटर को हटाने के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है।

नियामक ढांचा:

1. सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम (यूएस):

- ऑडिटर की स्वतंत्रता, रोटेशन और निरीक्षण पर सख्त नियम लागू करता है।

- सार्वजनिक कंपनियों के ऑडिट की निगरानी के लिए पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (पीसीएओबी) की स्थापना की गई।

2. यूरोपीय संघ ऑडिट विनियमन:

- कुछ शर्तों के तहत 24 साल तक संभावित विस्तार के साथ, हर 10 साल में सार्वजनिक हित संस्थाओं (पीआईई) के लिए ऑडिट फर्मों के अनिवार्य रोटेशन की आवश्यकता होती है।

3. कंपनी अधिनियम (यूके):

- अनिवार्य रोटेशन और ऑडिटर स्वतंत्रता आवश्यकताओं सहित ऑडिटरों की नियुक्ति, रोटेशन और निष्कासन पर विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है।

4. कंपनी अधिनियम (भारत):

- कंपनियों के कुछ वर्गों के लिए ऑडिट फर्मों के लिए हर पांच साल में और व्यक्तिगत ऑडिटरों के लिए हर दस साल में ऑडिटरों के रोटेशन को अनिवार्य करता है।

ये ढाँचे सुनिश्चित करते हैं कि ऑडिटरों की नियुक्ति, रोटेशन और हटाने की प्रक्रियाएँ पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाती हैं, शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जाती है और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जाता है।

Ravindra Kumar
Associate Professor
Department of Commerce